

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक तारीख..... (देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129) तक
जिला- बोकारो घाट संख्या..... से.....
केस का प्रकार..... 53/2022-23

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख
1	2	3
28/07/22	प्रबंधक B.O. मंडरा शाखा जिला- बोकारो, अपने विद्वान अधिवक्ता..... ने अपने अधियाचना संख्या..... द्वारा देनदार <u>आलचन्द मझी</u> <u>पिता- रेवतलाल मझी- मूल. बीदर</u> <u>पौ. मंडरा घाट- नावाडीह जिला- बोकारो</u> जिला- बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि..... की वसूली हेतु अधियाचना पत्र दाखिल किया गया है। साथ ही कोर्ट की रुपये..... कुल..... रुपये का वसूली दावा दाखिल किया गया है। अधियाचना पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है। अतः देनदार के विरुद्ध बिहार एवं उडिसा लोक मॉग आधेनियम-4 वर्ष 1914 की धारा 7 के तहत विधिवत सूचना (नोटिस) निर्गत करें। देनदार को सूचना (नोटिस) का तामिला स्थानीय थाना एवं निर्दिष्ट डाक के माध्यम से करावें। अभिलेख दिनांक 03/08/22 को उपस्थापित करें। <i>Ranhe</i> अंचल अधिकारी, नावाडीह।	
03/08/22	अभिलेख उपस्थापित किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त न्याय अनुपरिष्ठा। अभिलेख दिनांक 10/2/23 को उपस्थापित करें। <i>Ranhe</i> अंचल अधिकारी, नावाडीह।	

10/03/23

अभिलेख उपस्थापित

पक्ष अनुपस्थित, पक्ष को उपस्थित होने के लिए नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 03/03/23 को उपस्थापित करें।

03/03/23 अभिलेख उपस्थापित किया गया है।
द्वारा बैंक ने बकाया राशि का NOC कार्यालय में समर्पित किया। बैंक ने सूचना प्राप्त की है।

अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।
दिनांक 27/06/23 को उपस्थापित करें।

27/06/23 अभिलेख उपस्थापित किया गया है।
बैंक ने सूचना प्राप्त की है।

अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।